

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-

श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह चारण,  
निवासी 576, राजेन्द्र नगर विस्तार, पाली  
(राज.)

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 38 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं जिसकी सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>598-99 21/5/19</p>
29/5/19	<p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाये।</p> <p>इस अग्रिमलेख के जरिए पत्रांक 598 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली को लिखा गया। उनके अपने पत्रांक 1028 दिनांक 14-5-2019 के द्वारा अवगत कराया कि अपीलांत द्वारा वांछित सूचना उसको उनके पत्रांक रा. लो. सू. अ. 363/2018/1433 दिनांक 24-10-2018 के ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस लिए अपील प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>अपीलांत को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इस अपील के संदर्भ में प्रकरण की कार्यवाही शेषांशित नहीं होने से यह अपील अग्रिम की जाती है। लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युक्त संलग्न पत्रावली किया जाये। पत्रावली अग्रिम दिनांक की जाफत इस अग्रिमलेख से संलग्न है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>6-5-19</p> <p>772 21/5/19</p>